Faridabad Plot Built Properties in all Sectors

SYNDICATE ESTATE AGENCY

Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288

Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध : www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES

(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa

24, Hours Service

Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 24 | अंक 12 | फरीदाबाद, रविवार, 1-15 मई 2011 | फोन : - 9999595632, 0129- 4022632 | सहयोग राशि 1 रुपया

सिविल सोयायटी का नाटक

भ्रष्टाचार 'रोकेंगे' लेकिन स्रोत को जारी रखेंगे

दिल्ली (म.मो.) भ्रष्टाचार की रोकथाम पर चल रहे नाटक का एक दृश्य उस समय देखने में आया जब भारत के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों - वर्मा तथा वेंकटचलैया - तथा सिविल सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने एक गोलमेज़ वार्ता की। इसमें इस बात को बढ़ावा दिया गया कि ऊंची न्यायपालिका और प्रधानमंत्री को लोकपाल की जांच परिधि से बाहर रखा जाये। ऊंची न्यायपालिका राज्यों की हाई कोर्टों से लेकर दिल्ली स्थित भारत की सुप्रीम कोर्ट तक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन न्यायालयों में कार्यरत जजों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जायेगा। मज़े की बात यह भी सामने आई कि इन जजों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने को तो स्वीकार किया ही गया, साथ में यह भी माना गया इनके भ्रष्टाचार को रोकने का जो भीतरी तंत्र है, वह भी नाकारा है। इसलिए इनके लिए अलग से तंत्र ईजाद किया जाये। दोबारा दोहराने से बचते हुए पाठकों को इतना याद दिलाना जरूरी है कि आज देश में कोई भ्रष्टतम महकमा है तो वह न्यायपालिका ही है। और इसका सारा श्रेय ऊंची न्यायपालिका को ही जाता है। इस तथाकथित ऊंची न्यायपालिका में जातिवाद एवं भाई-भतीजावाद के आधार पर बने गुट बड़े पैमाने पर निकम्मे, नालायक व भ्रष्ट लोगों को जज की कुर्सी तक पहुंचाने की जुगाड़बाज़ी करते रहते हैं। कोई अपनी प्रेमिका को तो कोई अपने प्रेमी को जज बनाने की जुगत लगाता है।

वेंकटचलैया, आरएस वर्मा व किरण बेदी की सिविल सोसायटी

राष्ट्रमंडल खेलों में देश का 70 हज़ार करोड़ रुपया डकारने के लिए केवल कलमाडी, शीला दीक्षित और जयपाल रेड्डी को दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं। इन सब पर नियंत्रण, निगरानी एवं मार्गदर्शन करने की ज़िम्मेवारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बनती है।

पिछले दिनों तो इस खेल में पैसे के लेन-देन की चर्चा भी जोरों पर रही है। जब तक इस उच्च न्यायपालिका की नकेल नहीं कसी जायेगी, निचली न्यापालिका में कोई सुधार संभव नहीं। इसी बैठक में इस विचार को भी आगे बढ़ाया गया कि प्रधानमंत्री, क्योंकि देश को चलाने वाली सरकार का मुखिया होता है, उसकी एक अंतरराष्ट्रीय छवि होती है, इसलिए उसे भी किसी जांच के दायरे से बाहर रखा जाये। जबकि वास्तव में जांच की जकड़ होनी ही देश के प्रधानमंत्री व राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर चाहिए। यदि इन लोगों पर सख्ती कर दी जाये तो नीचे वालों के लिए फ़िर किसी लोकपाल की जरूरत ही नहीं रहेगी। संदर्भवश यह समझ लेना अति आवश्यक है कि देश व राज्यों में जो कुछ भी हो रहा है, वह इन लोगों की स्वीकृति अथवा अनदेखी से हो रहा है।

राष्ट्रमंडल खेलों में देश का 70 हज़ार करोड़ रुपया डकारने के लिए केवल कलमाडी, शीला दीक्षित और जयपाल रेड्डी को दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं। इन सब पर नियंत्रण, निगरानी एवं मार्गदर्शन करने की ज़िम्मेवारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बनती है। खेलों के नाम पर बरसों तक चली यह लूट खुलेआम सार्वजनिक तौर पर हुई थी। पूरा देश हर रोज़ चिल्ला-चिल्ला कर इस लूट का बखान कर रहा था।

शेष पेज 2 पर

दस नंबरी पार्षद पर बाइसवां मुकदमा दर्ज

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर-7 की मार्केट में एससीएफ नं. 33, जिसे हूडा ने रिज्यूम कर रखा है, पर अवैध कब्ज़ा करने व हूडा अधिकारियों से मारपीट करने पर थाना सेक्टर-7 पुलिस ने स्थानीय पार्षद कुलदीप व उसके साथी अतुल और दीपक के विरुद्ध भादंसं की धारा 448, 506, 34 के तहत मुकदमा नंबर-214 दर्ज कर लिया है।

सीही गांव निवासी कुलदीप उर्फ़ भप्पा पिछले काफ़ी अर्से से गुंडागर्दी के धंधे में लगा हुआ है। वर्ष 1999 से लेकर अब तक उस पर 21 फ़ौजदारी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और यह 22वां मुकदमा है। जायदादों पर कब्ज़े करना, लड़ाई-मार-कुटाई, अवैध हथियार रखना इसका मुख्य काम रहा है। इसके मुकदमों एवं आपराधिक गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए थाना सेक्टर-7 पुलिस ने इसे दस नंबरी की उपाधि पहले से ही प्रदान कर रखी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस चुनावी रणनीति के चलते वह अपने क्षेत्र से पिछले दिनों नगर निगम का पार्षद चुना गया। पार्षद पद का यह बिल्ला इस तरह के लोगों को आपराधिक गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी उपयोगी रहता है। इस बिल्ले को ये लोग अपराध करने के परमिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस बिल्ले के द्वारा इस तरह के लोग पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को तो धमकाते ही हैं, जनसाधारण का शांति से रहना भी मुश्किल कर देते हैं। हूडा के वे अधिकारी जिन्होंने इस गुंडा गिरोह को सरकारी बिल्डिंग से खदेड़ने का प्रयास किया तथा बाद में उनकी पुलिस में शिकायत की, बधाई के पात्र हैं। पुलिस ने भी बेखौफ़ हो कर उनके विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सराहनीय कार्य किया है। अब देखना यह है कि तमाम राजनीतिक दबावों के बावजूद पुलिस इनको कब तक गिरफ़्तार कर पाती है।

हाई कोर्ट जज सूद को चाहिए दो पेंशन

चंडीगढ़ (म.मो.) हरियाणा सरकार से जुगाड़बाज़ी करके पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जज सूद ने सेवानिवृत होते ही राज्य का लोकपाल पद हथिया कर पूरे पांच साल मौज लूटी। उसके बाद तिकड़मबाज़ी करके हाई कोर्ट की एकल पीठ से लोकपाल पद की पेंशन के भी आदेश जारी करवा लिए। इस आदेश के विरुद्ध हरियाणा सरकार ने इसी हाई कोर्ट की बड़ी पीठ में याचिका दायर की है। राज्य सरकार का कहना है कि जब वह हाई कोर्ट जज की भरपूर पेंशन पा रहे हैं तो लोकपाल पद की पेंशन कैसे दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार ने इन्हें पांच साल के अनुबंध पर रखा था, न कि स्थायी नौकरी पर।

बिनायक सेन की रिहाई :

कहां बची न्यायपालिका की साख ?

जनविरोधी शासक वर्ग द्वारा देशद्रोह के आरोप में उम्र भर के लिए जेल में बंद कर दिये गये डॉक्टर बिनायक सेन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर के न्यायपालिका की कटी हुई नाक को जोड़ने का प्रयास किया है। कोर्ट के इस आदेश पर टिप्पणी करते हुए (मीडिया में) लोग़ों को यह कहते सुना गया कि इससे देश के कानून व न्याय-व्यवस्था में उनका विश्वास बढ़ा है, इससे न्यायपालिका की साख बढ़ी है आदि-आदि।

लेकिन यह सब नकली ड्रामा है। दिल्ली में बैठी सुप्रीम कोर्ट ही न्यायपालिका नहीं है। रायपुर में बैठा वह सैशन जज भी न्यायपालिका है जिसने डॉ.सेन को दोषी ठहरा कर सज़ा दी। वहां की हाई कोर्ट भी न्यायपालिका है जिसने सैशन जज के फ़ैसले की पुष्टि करते हुए उनकी सज़ा को कायम रखा। देश भर में कितने लोग़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक आने और फ़िर राम जेठमलानी को वकील करने की हैसियत रखते हैं? कितने लोग़ हैं जिनके समर्थन में दुनिया भर के कोने-कोने से न केवल आवाज़ें उठें, बल्कि देश की न्यायपालिका की लुटती अस्मत का तमाशा देखने विदेशी प्रतिनिधिमंडल तक आते हों?

यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन एकदम सही है कि गांधी साहित्य रखने से कोई गांधीवादी और नक्सल साहित्य रखने से कोई नक्सली नहीं हो जाता। नक्सलियों से सहानुभूति रखने मात्र से किसी को देशद्रोही नहीं ठहराया जा सकता। परंतु क्या इस साधारण-सी बात का ज्ञान उस सैशन जज तथा हाई

कोर्ट के जजों को नहीं था? क्या वे कतई अनपढ़, गंवार भर्ती कर रखे हैं? इतना ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट यह मान रही है कि डॉ.सेन ने कोई देशद्रोह नहीं किया तो जमानत पर रिहाई का क्या मतलब? सीधी रिहाई क्यों नहीं? उनका पासपोर्ट जमा करा कर 50-50 हज़ार की जमानत लेने का सीधा अर्थ है कि अभी छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट में न्याय का नाटक और खेला जायेगा।

विदित है कि चार माह पूर्व उन्हें सज़ा सुनाये जाने से पूर्व भी वे इसी मुकदमे में बरसों जेल में रह चुके थे और तब भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया भर के मानवतावादियों के दबाव में तथा अपनी साख को बचाने के लिए इन्हें जमानत पर रिहा कराया था। इस सारे प्रहसन को इस तरह से खींचते रहने का क्या अभिप्राय है? दरअसल, इस देश की न्यायपालिका का धंधा ही है - 'काम में लगे रहो, करो कुछ नहीं।' इस मामले में सही न्याय केवल तब माना जा सकता है जब डॉ.सेन पर झूठा मुकदमा दर्ज करने तथा कराने वाले तमाम पुलिस अधिकारी तथा पुलिस का सहयोग कर उन्हें जेल भेजने वाले जजों को भी कम से कम उतने ही समय तक जेल में रखा जाये जितना कि उन्हें रखा गया था। लेकिन ऐसा इस शासन व्यवस्था में कदापि संभव नहीं है, क्योंकि शासक वर्ग ने सरकारी मशीनरी (पुलिस एवं न्यायपालिका) को न्याय देने के लिए नहीं, अपितु आम जनता का शोषण व दमन करने तथा अपने हितों की रक्षा करने हेतु पाल रखा है। संदर्भवश, जब देशद्रोह की बात आती है तो यह समझना भी जरूरी है कि आख़िर यह देश है क्या?

शेष पेज 2 पर